...यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] मु. नं. [illegible] वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा-पत्र
11/03/19	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कैलाश बिजारनियां हाजिर। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.04.2019 को पेश हो। प्रार्थीगण अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी गण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द व हस्तांतरण करने तथा रहने करने के लिए आमादा हो रहा है। प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अंतरिम रूप से पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.04.2019 तक ग्राम माण्डोता प.मं. माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजियात ख.नं. 386 कुल रकबा 3.00 है0 की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्राकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसाा अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों के अनुसार एकपक्षीय आदेश का युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर सम्भव यत्न करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा जिस परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। पत्रावली देखने तामील नियत तिथि 11.04.2019 को पेश हो। (राजपाल यादव) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर धोद मु. सीकर
11/04/19	[illegible]
[illegible]	पत्रावली [illegible] उपस्थित है P.O Sb अवकाश पर/ [illegible] कार्य में व्यस्त/ [illegible] अन्य [illegible] में व्यस्त है। [illegible] अनुसार दिनांक 12/07/19 को पेश हो।

Copy Not Official

Scanned with CamScanner

दिनांक	
12/7/19	[illegible] जवाब हेतु [illegible] दिन [illegible] @ 12/8/19 [illegible] RY
12/9/19	पत्रावली पेश हुई। उत्तरपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। जवाब हेतु पुन: अवसर चाहा। पुन: जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 15/10/19 को पेश हो। RY
15/10/19	पत्रावली पेश हुई। उत्तरपक्ष के अभिभाषक उपस्थित/जवाब हेतु अवसर चाहा। पुन: आपत्ति [illegible] पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 12.11.19 को पेश हो। RY
31.10.19	पत्रावली आज प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अभिभाषक के प्रार्थना बाबत मिसल तलबी पेश होने पर पेशी में ली गई। उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। पक्षकारान हस्तगत पत्रावली को आगे नहीं चलाना चाहते है। अत: पत्रावली को आज खारिज की जावें। उपस्थित वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को सुना। पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया। अत: वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण स्वयं के निवेदन पर अप्रार्थीगण हस्तगत पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। दावा भी वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर खारिज किया जा चुका है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। RY

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] सुनी

[illegible] सुनीता

[illegible] Raj

RY
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible] मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner